न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :– रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा न0– 82/2019
जी सी एम एस न0 2019/00183

दर्ज दिनांक 03.04.2019
निर्णय दिनांक 12.07.2023

विजेन्द्र सिंह **बनाम** **संजीव कंस्वा आदि**

अंतिम निर्णय

दावा विभाजन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी** उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ... –..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.02.2023 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.02.2023 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निज..–............निल............... मुबलिक –.............निल................. दाबन.–............... ....निल..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह –.. ....निल................ फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक –... ....निल...................... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 07 सन 2023 को जारी की गई।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

12/7/23
(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.08.07 17:51:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न0– 82/2019 — दर्ज दिनांक 03.04.2019

जी सी एम एस न0 2019/00183 — निर्णय दिनांक 12.07.2023

विजेन्द्र सिंह — **बनाम** — **संजीव कंस्वा आदि**

अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.09.2022 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम टोडी पटवार हल्का दुड़िया की सरहद में खाता संख्या 1053 के खसरा न. 106 के रकबा 0.59 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 5 का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 14.09.2022 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी से पत्र कमांक:– भू.अ./2023/518 दिनांक 23.02.2023 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान सहमत है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.02.2023 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.02.2023 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

12/7/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.08.07 17:51:00 IST
Reason: SelfAttested

12/7/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)